न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–44/2021/जिला भीलवाड़ा

श्यामसुन्दर पुत्र शम्भूलाल जाति पाराशर उम्र बालीग निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर(राज0)

––रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 15.03.2021 जो प्रकरण संख्या 138/2020 बउनवानी श्यामसुन्दर बनाम तहसीलदार माण्डलगढ़ में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री वैभव पारीक (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम शामथला ग्राम में आराजी नम्बर 266/80 रकबा 2 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन कमिटी द्वारा आवंटित की गई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपीलांट आवंटी के विरूद्ध राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं होने से आवंटन को निरस्त करते हुए भूमि को सिवायचक दर्ज करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण 138/2020 नम्बर से दर्ज किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 15.03.2021 से उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया गया है तथा विवादित भूमि को कब्जे सरकार लकर बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निम्न आधारों पर उक्त अपील प्रस्तुत की है–

1. अपीलांट आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई तथा भूमि की सीमाबंदी की हुई है तथा आवंटन के प्रथम वर्ष से काश्त किया अभी तक जारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

2. राजस्व रिकोर्ड में खातेदार गैर खातेदार दर्ज है। जिसे रेस्पो0 1 द्वारा खातेदारी नहीं दी गई है।

3. पटवारी द्वारा एकपक्षीय मौकापर्चा बनाया गया।

4. सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया।

5. मौका पर्चा को साबित करने के लिए रेस्पो0 1 ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जिसकी वजह से अपीलांट को जिरह का अवसर नहीं मिला है। ना ही मौका पर्चा प्रदश हुआ है।

6. अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर पत्थर की कोट लगाकर सीमाबंदी की हुई है। जिससे उसका कब्जा साबित होता है।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को नहीं देखा गया है।

8. लम्बे समय के बाद आवंटन को निरस्त कर देना उचित नहीं है।

9. आवंटन शर्तों की अवहेलना के प्रकरण आवंटन समय से 2 वर्ष की अवधि में बनाये जाने चाहिए थे। अतः अपील स्वीकार की जायें और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2021 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं एक स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील मीमो तथा जवाब धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र एवं जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर शामिल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2021 का है तथा दिनांक 19.03.2021 से कोविड की वजह से न्यायालय बंद है। जून के आरम्भ में निर्णय की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 07.06.2021 को निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया गया तथा दिनांक 17.06.2021 को निर्णय की प्रति प्राप्त की गई। न्यायालय हाजा में आवश्यक कार्यवाही की शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः कोविड की परिस्थिति को देखते हुए अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जायें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत होना पाया जाता है और यह सही है कि कोविड की परिस्थितियों की वजह से न्यायालय बंद रहे थे। अपीलांट द्वारा निर्णय की सूचना प्राप्त करने के बाद अपील प्रस्तुत कर दी थी। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा स्थगन बाबत प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने निवेदन किया है कि भूमि को बिलानाम दर्ज कर देने पर आवंटी को अनावश्यक रूप से धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही में जुझना पड़ेगा तथा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

किसी अन्य को भी आवंटित की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय की पालना को स्थगित किया जायें।

पत्रावली पर प्रस्तुत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2021 तथा इस प्रकरण से संबंधित मिसल नम्बर 256/2019 प्रोसिडिंग दिनांक 10.10.2019 से दिनांक 15.03.2019 तहसीलदार द्वारा धारा 14(4) हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 23.09.2019 मौका पर्चा दिनांक 03.09.2019 द्वारा हल्का पटवारी जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम शामथला खाता संख्या नया 116 खसरा नम्बर 266/80 संबंधित खसरा नम्बर का नक्शाट्रेस द्वारा हल्का पटवारी दिनांक 16.09.2019 संवत 2075 गिरदावरी विवादित खसरा नम्बर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.07.2002 , नामातंरण संख्या 179 ग्राम शामथला का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय में तामील बाबत विचार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 को नोटिस तारीख पेशी जारी किया गया था तथा पेशी दिनांक 08.11.2019 रखी गई थी। उक्त नोटिस की पुश्त पर श्यामसुन्दर पाराशर के नाम का अंकन किया हुआ है। इससे सिद्ध है कि अपीलांट को तामील प्रोपर हो चुकी है।

आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.07.2002 का अवलोकन किया गया। बिन्दु नम्बर 7 पर आवंटन की शर्तें दर्ज है। इसके बिन्दु नम्बर 3 पर यह अंकित है कि आवंटिती का आवंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत में दूसरे वर्ष अनिवार्य भूमि काश्त करनी होगी। इसी के बिन्दु नम्बर 1 पर यह लिखा हुआ है कि किन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन गैर खातेदारी धारणाधिकार पर हों जिसके साथ संतोषकर्ता 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वह शर्तें की आवंटीति इस कालावधि में आवंटन की शर्तों तथा उपबंधो का पालन करें। अधिकारों का प्रदान होगा जब तक की खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जायें। आवंटीती को टिनैन्सी एक्ट के अधीन गैर खातेदार कृषक के समस्त हक प्राप्त होगें। पहले खातेदार अधिकारों के लिये 10 वर्ष का समय तय था। सन् 1990 से इसे 3 वर्ष कर दिया गया। मगर सारी शर्तों का पालन करने पर ही यह अधिकार तहसीलदार द्वारा स्वतः दिये जाते है। न्यायालय अपीलांट की बात से सहमत है कि खातेदारी अधिकार एक समय बित जाने पर स्वतः तहसीलदार द्वारा दिये जाने चाहिए थे। मगर न्यायालय का यह भी मानना है कि इसके लिए आवंटी को शर्तों की पालना करनी होगी।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मौकापर्चा पटवार हल्का सरथला ग्राम शामथला दिनांक 03.09.2019 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का आवंटन वर्ष 2002 से आज दिनांक तक कब्जा नहीं होना बताया है तथा गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की जा रही है। उक्त मौका पर्चा पर पटवारी सरथला के अलावा दुर्गालाल मीणा, भगवान मीणा, सोहन मीणा, प्रभु पिता सोचचन्द भील व रामकुमार के हस्ताक्षर किये हुए है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

यह नहीं माना जा सकता है कि पटवारी द्वारा कमरे में बैठकर कोई रिपोर्ट तैयार की गई है। विपक्षी की तामील होकर उनकी ओर से वकालतनामा संबंधित अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.11.2019 को प्रस्तुत कर दिया गया और निर्णय दिनांक 15.03.2021 को किया गया। बहुत अवधि अपीलांट को दी गई थी। जिसमें वह अपना पक्ष समुचित रूप से रख सकता था। अपीलांट द्वारा यह कहा जाना कि उसका मौके पर कब्जाकाश्त है। साबित करने के लिए उसके द्वारा कोई दस्तावेज, सबूत, फोटोग्राफ तथ गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि उसके पास यह अवसर था। यह सही है कि अपीलांट गैर खातेदार रहा है। मगर खातेदारी प्राप्त करने के लिए उसे काश्त करनी होगी तथा उसका कब्जा जरूरी है। उक्त स्थिति को वह किसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय में एवं वर्तमान कार्यवाही के दौरान सिद्ध नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट का आवंटित खसरा नम्बर कोई कब्जा एवं काश्त नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2020 निर्णय दिनांक 15.03.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested